न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2019 (2019/00118) दर्ज दिनांक 06.05.2019

अपील 75 एल0आर0एक्ट

1. बाली पत्नि स्व0 शंकर लाल सुनार निवासी रूद बावलास, तहसील राशमी जिला चितौडगढ़ (राज0)
2. प्रेम बाई पत्नि स्व0 हरक लाल सुनार निवासी भीमगढ़ तहसील राशमी जिला चितौडगढ़ (राज0)
3. शान्ता बाई पत्नि स्व0 मदन लाल सुनार निवासी गिलूण्ड, तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद (राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पिता स्व0 लालु सुनार निवासी नागराज ज्वैलर्स, नया रोड नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज0)
2. मदन पिता स्व0 लालु सुनार निवासी नरसिंग चौक गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. गोपाल पिता स्व0 लालु सुनार निवासी आदर्शनगर तहसील रोड, नाथद्वारा, जिला राजसमंद (राज0)
4. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत चीड़खेड़ा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–रेस्पोडेन्ट्स

वकिल अपीलान्टः– श्री बी0एल0 माली
वकिल रेस्पोडेन्ट्सः– दीपक शर्मा (रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03)

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरणकरण संख्या 427 दिनांक 12.10.1977, ग्राम पंचायतत चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा</u>

निर्णय

दिनांक 20.11.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:09:01 IST
Reason: SelfAttested

अपील के संक्षिप्त तथ्य इ[illegible] हैं [illegible] पटवार हल्का चीड़खेड़ा, भू0अ0नि0 आमली, तहसील सहाड़ा में स्थित [illegible] संख्या 119/3 रकबा 05 बीघा

1.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

10 बिस्वा भूमि राजस्व अधिकार अभिलेख में अपीलार्थीगण के पिता लालु पिता पीरू सुनार के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी।

जिनका पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार है:–

लालु पिता पीरू सुनार

नारायणी पत्नि फौत	बाली पुत्री	जगदीश पुत्र	मदन पुत्र	गोपाल पुत्र	शान्ता बाई पुत्री	प्रेम बाई पुत्री

उक्त सजरे के अनुसार अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में को पार्सनस है।

लालू पिता पीरू सुनार की मृत्यु क`उपरान्त ग्राम पंचायत चीड़खेड़ा द्वारा नामान्तरण 427 दिनांकित 12.10.1977 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने अपने नाम पर प्रत्यर्थी संख्या 04 से मिलाभगती कर नामान्तरण अपने नाम पर फैसल करा लिया जिससे व्यतीत होकर निम्न उजरातों के साथ अपील सादर प्रस्तुत है:–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों तथ्यों व विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

यह कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रत्यर्थीगण संख्या 4 से मिलाभगती कर वास्तविक तथ्य छिपा नामान्तरण खुलवा लिया जो कि विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

यह कि अपीलार्थीगण अपने पिता की सम्पत्ति में प्रत्यर्थीगण 01 लगातयत 03 के साथ बराबर हक हिस्सा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है परन्तु प्रत्यर्थीगण 01 लगायत 03 ने प्रत्यर्थी संख्या 04 से मिलाभगत कर अपने नाम पर नामन्तरण फैसल करा लिया जबकि अपीलार्थीगण के साथ उनकी माता नाराणी बाई का भी प्रत्यर्थी संख्या 01 लगातय 03 के साथ बराबर हिस्सा निहित था। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 03 ने प्रत्यर्थी संख्या 04 के साथ मिलाभगती कर अपनी मता नाराणी बाई का हक हिस्सा भी उक्त नामान्तरण में दर्ज नहीं कराया। इस प्रकार वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए अपने नाम पर नामान्तरण फैसल करा लिया जो विधि विरूद्ध होने से स्वतः ही निरस्त होने योग्य है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही करते समय न तो अपीलार्थीगण को सूचना दी न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया। प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 03 ने वास्तविक तथ्य को छुपाकर नामान्तरण स्वयं के नाम पर खुलवा लिया जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:09:01 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण 01 से 03 हिन्दु विधि से शासित होते है व हिन्दु विधि अनुसार अपीलार्थीया का भी हक हिस्सा अपने पिता की सम्पत्ति पर प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 03 के बराबर प्राप्त करने की अधिकारिणी थी परन्तु प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 03 ने मनमकसूद तरीके से नामान्तरण अपने पक्ष में खुलवा लिया। अपीलार्थीया द्वारा अपने पिता की सेवा सुश्रुषा एवं देखभाल भी की परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों व विधि के सुस्थापित नियमों की अवहेलना कर उक्त नामान्तरण फैसल कर लिया । जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि व तथ्य विरूद्व होने से अवश्य ही खारिज होने योग्य है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण फैसल करने व विधिक प्रक्रिया का भी समुचित रूप से पालना नही की न ही वास्तविक तथ्यों की जांच की इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों व विधि के सुस्थापित नियमों की अवहेलना कर उक्त नामान्तरण फैसल कर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि व तथ्य विरूद्ध होने से अवश्य ही खारिज होने योग्य है।

यह कि अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश की महिला होकर अशिक्षित महिला है जो कानून की जानकारी नहीं रखती है। अपीलार्थीगण विवाह उपरान्त ससुराल आकर रहने लगी व समय–समय पर अपने हक हिस्से को सार संभाल करती। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 03 एक ही परिवार के व्यक्ति है। अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 03 ने अपीलार्थीगण को विश्वास दिलाया कि जब भी पिता का नामान्तरण खुलवायेंगे तो उसकी जानकारी उन्हें दे दी जायेगी व प्रत्यर्थीगण संख्या 01 लगायत 03 अपीलार्थीगण के सगे भाई होने से अपीलार्थीगण ने उनकी बात पर विश्वास किया परन्तु वर्तमान में अपीलार्थीगण को रूपयों की आवश्यकता होने से उक्त भूमि में नामान्तरण खुलवाने हेतु राजस्व अधिकारियों से सम्पर्क किया तो राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त नामान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 के नाम पर खुल जाने की जानकारी दी तब अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत है।

अतः सादर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत चीड़खेड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.1977 को नामान्तरण संख्या 427 को खारिज फरमाया जाकर अपीलार्थीण को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दिनांक 06.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट 04 उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा जवाब के पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदेही बंद की जाती है। उभयपक्ष बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील के बिन्दुओं को दोहराया एवं उपलब्ध दस्तावेज का अवलाकन कर अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 427 को निरस्त करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:09:01 IST
Reason: SelfAttested

3.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

निवेदन किया । रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को झूठा व निराधार बताकर खाजिर करने हेतु निवेदन किया।

मेरे द्वारा उक्तानुसार विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया । अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चीड़खेड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.1977 बावत् नामान्तरण संख्या 427 ग्राम अड़सीपुरा को निरस्त की जाकर प्रार्थीगण की अपील स्वीकार किया जाना उचित है। अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चीड़खेड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.1977 बावत् नामान्तरण संख्या 427 ग्राम अड़सीपुरा को निरस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। एंव तहसीलदार सहाड़ा को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि निर्णय में वर्णित आब्जर्वेशन एवं दस्तावेज के अवलोकन में परिक्षण कर, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नामांतरण दर्ज करना सुनिश्चित् करें।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0) 4.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:09:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner